दैनिक भास्कर

पटना, रविवार, 03 फरवरी, 2019 | 3

बिल्डरों से अब 10 लाख रुपए फाइन वसूलेगा रेरा

पटना। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने अनिबंधित प्रोजेक्ट के लिए जुर्माना की राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। वहीं लेट फाइन की दर में संशोधन किया गया है। एक हजार वर्गमीटर के पुराने आवासीय प्रोजेक्ट के निबंधन के लिए पांच लाख या निबंधन शुल्क का पांच गुना जो ज्यादा है देना होगा। वहीं अन्य आवासीय, कमर्शियल और मिश्रित प्रोजेक्ट लिए निबंधन की राशि सात लाख या निबंधन शुल्क का सात गुना जो ज्यादा होगा देना होगा।